श्रीकिशन बनाम नौरंग दीक्षित मु.न. 138/6

दिनांक	आज्ञा पत्र
31-1-25	पत्रावली पेश। उभय पक्ष उप. और पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 11-2-25 को पेश हो।
11.2.25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाने से निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते पुनः बहस अन्तिम दिनांक 20.2.25 को पेश हो।
20.2.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 27.2.25 को पेश हो।
27.2.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. [illegible] निर्णय हेतु समय चाहा। वास्ते आदेश दिनांक 18.3.25 को पेश हो।
18-3-25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. और पत्रावली वास्ते निर्णय 21-3-25 को पेश हो।
21-3-25	पत्रावली पेश। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 138 / 2016

1 श्रीकिशन आयु 55 साल पुत्र स्व. वासुदेव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर राज. (मूलवाद प्रतिवादी संख्याा 7)

अपीलांटस

बनाम

1 नीलम दीक्षित आयु 46 साल पत्नी स्व. विश्वनाथ (मूलवाद में वादी संख्या 1/1)

2 पवन दीक्षित आयु 25 साल पुत्र स्व. विश्वनाथ (मूलवाद में वादी संख्या 1/2)

3 मनीषा दीक्षित आयु 26 साल पुत्री स्व. विश्वनाथ समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण बेरी तहसील व जिला सीकर राज. (मूलवाद में वादी संख्या 2/3)

4 हीरालाल आयु   साल पुत्र स्व भगवतीप्रसाद (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 1)

5 रमाकान्त आयु 29 साल पुत्र स्व. भगवतीप्रसाद (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 2)

6 महेन्द्र आयु 26 साल पुत्र स्व. भगवतीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सीतारामजी ठाकुरबाडी नोठी लखीमपुर आसाम (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 3)

7 श्रीमती आशा पत्नी सुभाषचन्द्र शर्मा पुत्री श्री भगवतीप्रसाद शर्मा उम्र 34 साल निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 4)

8 गंगाधर पुत्र श्री द्वारकाप्रसाद आयु 24 साल जाति दीक्षित ब्राह्मण निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर राज.। (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 5)

9 लोकेश कुमार आयु 50 साल पुत्र स्व. वासुदेव जाति ब्राह्मण निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर राज.।

10 त्रिलोकचन्द पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 9)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 प्रेमलता शर्मा आयु 50 साल पत्नी स्व. पवन कुमार शर्मा निवासिनी घुमचक्कर के पास नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 10/1)

12 मूलचन्द पुत्र महावीर निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज. (मूलवाद में प्रतिवादी संख्या 1)

13 उप पंजीयक महोदय सीकर राज.।

14 तहसीलदार सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 12.03.2016 मुकदमा नम्बर 152/2011 बउनवानी नीलम दीक्षित आदि बनाम हीरालाल आदि न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय द्वितीय सीकर राज.

अपील संख्या 122/2024

1 श्रीकिशन आयु 55 साल पुत्र स्व. वासुदेव जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर राज. (मूलवाद प्रतिवादी संख्याा 7)

अपीलांटस

बनाम

1 नीलम दीक्षित आयु 46 साल पत्नी स्व. विश्वनाथ

2 पवन दीक्षित आयु 25 साल पुत्र स्व. विश्वनाथ

3 मनीषा दीक्षित आयु 26 साल पुत्री स्व. विश्वनाथ समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण बेरी तहसील व जिला सीकर राज

4 हीरालाल आयु   साल पुत्र स्व भगवतीप्रसाद

5 रमाकान्त आयु 29 साल पुत्र स्व. भगवतीप्रसाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 महेन्द्र आयु 26 साल पुत्र स्व. भगवतीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सीतारामजी ठाकुरबाडी नोठी लखीमपुर आसाम

7 श्रीमती आशा पत्नी सुभाषचन्द्र शर्मा पुत्री श्री भगवतीप्रसाद शर्मा उम्र 34 साल निवासी ग्राम कोलसिया तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.

8 गंगाधर पुत्र श्री द्वारकाप्रसाद आयु 24 साल जाति दीक्षित ब्राह्मण निवासी ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर राज.।

9 लोकेश कुमार आयु 50 साल पुत्र स्व. वासुदेव जाति ब्राह्मण निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर राज.।

10 त्रिलोकचन्द पुत्र महावीर जाति ब्राह्मण निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.

11 प्रेमलता शर्मा आयु 50 साल पत्नी स्व. पवन कुमार शर्मा निवासिनी घुमचक्कर के पास नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.

12 मूलचन्द पुत्र महावीर निवासी नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.

13 उप पंजीयक महोदय सीकर राज.।

14 तहसीलदार सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 152/2011 उनवानी विश्वनाथ बनाम हीरालाल आदि दिनांकित 02.12.2011

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता अपीलान्ट
3. श्री राजेश माथूर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री विजय शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 21/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 152/2011 में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2011, 12.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 ने एक वाद बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड में संसोधन बाबत भूमि खसरा नम्बर 1098, 1099, 2203, 1023 वाके ग्राम बेरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक व अंतिम डिकी कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज विश्वनाथ द्वारा अपीलाधीन वाद महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसका विवादित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में केवल मात्र गलत रूप से इन्द्रजात मात्र रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 एव उसके पूर्वज विश्वनाथ का विवादित भूमियों में कोई हक, हिस्सा नहीं है, उन्हें आसाम में स्थित सम्पदा बाहमी बंटवारे में प्राप्त हो चुकी है। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा न तो स्वयं के स्तर पर इस तथ्य की ओर कोई जांच नही की गई तथा न ही अपीलान्ट को इस तथ्य का खण्डन करने का कोई अवसर ही प्रदत्त किया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांकित 02.12.2011 प्रथम दृष्टया ही काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय में वाद प्रतिवादीगण की तलबी में चल रहा था एवं तनकी तलबी हेतु एवं प्रतिवादीगण 9 लगायत 11 के जवाब हेतु दिनांक 12.03.2016 नियत थी लेकिन उक्त तिथि को विचारण न्यायालय ने बिना प्रतिवादीगण की तलबी के एवं प्रतिवादीगण संख्या 9 लगायत 11 के जवाब बिना वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की मनमाने ढंग से सीपीसी के प्रावधानों के विपरित जाकर डिक्री कर दिया, जो निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 12.03.2016 अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में बिना प्रक्रिया अपनाये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना वाद डिक्री कर दिया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 3 का पूर्वज अर्सा करीब 40–50 साल पूर्व से आसाम चला गया था एवं साथ ही रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 ता 7 के पूर्वज भी आसाम चले गये थे। अर्थात स्व. मांगीलाल के जीवनकाल में ही स्व. भगवतीप्रसाद एवं स्व. विश्वनाथ आसाम चले गये थे। एव वही पर सीतारामजी ठाकुर बाड़ी में मन्दिर की पूजा अर्चना करते थे जब अपीलान्ट एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के पूर्वजों में बंटवारा हुआ तो मन्दिर से होने वाली संपूर्ण आय स्व. भगवती प्रसाद एवं स्व. विश्वानाथ की होगी एवं ग्राम बेरी में अवस्थित भूमियों से होने वाली समस्त आय स्व. महावीर प्रसाद एव स्व. वासदेव की होगी इस बाहमी बंटवारे के विपरित जाकर उक्त निर्णय एवं डिक्री विचारण न्यायालय से करवया है जो अपास्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 ता 12 का उक्त आराजियात से कोई संबंध सरोकार नहीं है लेकिन संहवन से भूमि खसरा नम्बर 1023 में जमाबन्दी में इनका नाम चला आ रहा है। उक्त नाम की आड़ में इन्होंने मूलवाद में वाद से साज कर उक्त निर्णय एवं डिक्री विचारण न्यायालय से करवाया है इस प्रकार उक्त निर्णय एवं डिक्री निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ता 7 ने अपनी आसाम वाली संपति में से बिना हिस्सा दिये अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 व 9 की सम्पति को हड़पने की कुचेष्टा के कारण रेस्पोडेन्ट नम्बर 10 ता 12 के साथ साज कर विचारण न्यायालय में तथ्यों को छुपाते हुये विचारण न्यायालय को मुगालता देकर उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 12.03.2016 जारी करवाया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाकर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील वाद के प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील 13 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध 5 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

है। विचारण न्यायालय में कुल 11 प्रतिवादीगण थे। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था। कुल 11 प्रतिवादीगण में से केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से विचाराधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में दिनांक 26.06.2014 को अपीलांट की ओर से मेमो ऑफ अपीयरेंस अधिवक्ता महेश कुमार पटेल एवं चैनसिंह खेदड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील वाद के प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील 13 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध 5 माह के विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में कुल 11 प्रतिवादीगण थे। विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद था। कुल 11 प्रतिवादीगण में से केवल मात्र प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण की ओर से विचाराधीन निर्णय व डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में दिनांक 26.06.2014 को अपीलांट की ओर से मेमो ऑफ अपीयरेंस अधिवक्ता महेश कुमार पटेल एवं चैनसिंह खेदड़ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत अपीलांट द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अपीलांट द्वारा अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिक्री जारी किये जाने पर विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार सीकर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर विचारण न्यायालय के निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर